उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या: 70/2021/1478 /छप्पन-2021-07/2018 TC

लखनऊ: दिनांक: 27 जुलाई, 2021

कार्यालय ज्ञाप

(शुद्धि पत्र)

आर0सी0एस0 एयरपोर्ट कानपुर नगर (चकेरी) पर सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं के भुगतान हेतु शासनादेश संख्या 68/2021/1168/छप्पन-2021-07/2018 दिनांक 23 जुलाई, 2021 द्वारा धनराशि रूपए 1,82,47,806.00 (रुपए एक करोड़ बयासी लाख सैंतालिस हजार आठ सौ छः मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की गई है।

2- अनुरोध है कि निर्गत वित्तीय स्वीकृति के प्रस्तर-2 एवं प्रस्तर-3 में टंकण त्रुटि के कारण वित्तीय **वर्ष 2021-22 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2020-21 टंकित हो गया है। उक्त के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2021-22** समझा एवं पढ़ा जाए।

3- उपर्युक्त शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाए।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

पृ0सं0: 70/2021/1478(1)/छप्पन-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
6- निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003.
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।